दिनाँक 13 मार्च2018 की बैठक का कार्यवृत्त
स्थान – अकादमिक शोध एंव प्रशिक्षण निदेशालय देहरादून

आज दिनाँक 13मार्च 2018 को विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं एन.आई.ओ.एस. क्षेत्रीय निदेशक देहरादून की बैठक- अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय ननूरखेड़ा देहरादून में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य राज्य में डी.एल.एड पाठ्यक्रम के संचालन संबंधी समीक्षा करना तथा आगामी कार्ययोजना तैयार करना है।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित रहे।

1. श्रीमती सीमा जौनसारी; निदेशक, अकादमिक शोध एंव प्रशिक्षण निदेशालय देहरादून।
2. श्री वीरेन्द्र सिंह रावत; अपर निदेशक प्राथमिक / नॉडल अधिकारी डी.एल.एड उत्तराखण्ड।
3. श्री अजय कुमार नौडियाल; अपर निदेशक एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून उत्तराखण्ड।
4. एन. एस विष्ट, उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) विद्यालयी, शिक्षा निदेशालय ननूरखेडा, देहरादून।
5. श्री प्रदीप कुमार रावत; क्षेत्रीय निदेशक एन.आई.ओ.एस. क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।

बैठक में निम्न बिन्दुओ पर विचार विमर्श किया गया तथा तदनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई-

1. डी.एल.एड परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण तीव्र गति से सम्पन्न किया जाय। जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण तथा अध्ययन केन्द्रवार परीक्षार्थियों का आवंटन कर एन.आई.ओ.एस क्षेत्रीय केन्द्र को प्रेषित करेंगें। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 500 से 1000 तक परीक्षार्थी आवंटित किये जायेंगे। आवंटन का फार्मेट एन.आई.ओ.एस द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) परीक्षा केन्द्रों से निर्धारित प्रपत्र पर सहमति लेने के उपरान्त क्षेत्रीय केन्द्र देहरादून को प्रेषित करेंगें। सम्पूर्ण कार्यवाही 20 मार्च 2018 तक सम्पन्न की जानी चाहिए।

2. भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार / शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड एवं एन.आई.ओ.एस के मध्य एम.ओ.यू पर हस्ताक्षर किये जाने हैं। अतः शिक्षा विभाग द्वारा इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3. राज्य सरकार / शिक्षा विभाग के द्वारा एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर होने के साथ ही राज्य सरकार / शिक्षा विभाग द्वारा नामित राज्य प्रोजेक्ट डायरेक्टर डी.एल.एड के पक्ष में खाता खोला जायेगा। एन.आई.ओ.एस , डी.एल.एड व्यय हेतु इस खाते में धनराशि स्थानांतरित करेगा तथा राज्य प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खाते से ही अध्ययन केन्द्रों को धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

4. डी.एल.एड कोर्स कोड 501, 502 एवं 503 हेतु अप्रैल 27, 28 एवं 29 अप्रैल 2018 में परीक्षा आयोजित होने की सम्भावना है। जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रश्न-पत्रों का वितरण किया जायेगा। अतः इस संबंध में एन.आई.ओ.एस एवं शिक्षा विभाग द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा तथा जिला अधिकारियों से आवश्यक सहयोग प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

5. जिन सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों को दूरस्थ केन्द्रों पर अध्ययन केन्द्र आवंटित किये गये है, उन्हे जनपद के अन्दर ही अन्य अध्ययन केन्द्र स्थानांतरित करने की सुविधा निर्धारित शर्तो के अधीन प्रदान की जा रही है। इस हेतु प्रशिक्षु निर्धारित फार्म पर आवेदन कर सकेगें। यह सुविधा 30 मार्च के उपरान्त ही दी जायेगी।

6. राज्य में 30 मार्च तक पी.सी.पी. कक्षाएं संचालित होंगी। पी.सी.पी. कक्षाओं के उपरान्त 12 दिवसीय वर्कशाप भी अध्ययन केन्द्र पर आयोजित होनी है। सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि वर्कशापआयोजित किये जाने हेतु राज्य में दो विकल्प प्रस्तुत किये जायें। अध्ययन केन्द्र वर्कशाप आयोजन हेतु निम्न विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुन सकते है।

प्रथम विकल्प की तिथियाँ	द्वितीय विकल्प की तिथियाँ
13 मई से 24 मई - 2018	1 जून से 12 जून 2018

अध्ययन केन्द्र उनके द्वारा चुने गये विकल्प की सूचना एन.आई.ओ.एस क्षेत्रीय केन्द्र देहरादून एवं नोडल अधिकारी डी.एल.एड को अनिवार्य रुप से प्रेषित करेंगें।

7. क्षेत्रीय निदेशक एन.आई.ओ.एस द्वारा अवगत कराया गया कि डी.एल.एड पाठ्यक्रम में प्रधानाचार्य के सत्यापन हेतु 21 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य ऑन लाइन पॉर्टलपुनः खोला गया था, फलस्वरुप प्रदेश में 185 सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। इन प्रशिक्षणार्थियों की पी.सी.पी हेतु प्रत्येक जनपद में एक मॉडल सेन्टर खोलने की सुविधा एन.आई.ओ.एस द्वारा दी जा रही है। अतः प्रत्येक जनपद में डायट अथवा अन्य स्थापित अध्ययन केन्द्र पर मॉडल सेन्टर खोलेजायेंगे, क्षेत्रीय निदेशक एन.आई.ओ.एस द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

8. बैठक में चर्चा के दौरान यह तथ्य उभर कर आया है कि निजी विद्यालयों में कार्यरत सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के साथ प्रबंध तंत्र सहयोग नहीं कर रहे हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009/ यथा संशोधित अधिनियम 2017 की व्यवस्था के अन्तर्गत 10 अगस्त 2017 से पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को डी.एल.एड / ब्रिज कोर्स हेतु पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। जो अप्रशिक्षित शिक्षक डी.एल.एड / ब्रिज कोर्स में पंजीकृत नहीं हैं वे सेवा में नहीं रह सकते हैं , साथ ही विद्यालय में अप्रशिक्षित शिक्षकों की नई नियुक्ति भी नहीं की जा सकती है। अतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009/2017 के अनुसरण में जनपदीय शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा निदेशालय की ओर से पत्र निर्गत किया जाना चाहिए, ताकि अधिनियम की व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

9. अध्ययन कन्द्रों पर नियुक्त रिसोर्स पर्सन्स हेतु जनपद स्तर पर डायट अथवा अन्य सुविधाजनक स्थान पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाय , डायट से कार्यशालाओं के आयोजन में आवश्यक सहयोग लिया जाय।

10. एन.आई.ओ.एस द्वारा प्रत्येक अप्रशिक्षित अध्यापक हेतु पाठ्यक्रम की सी.डी उपलब्ध कराई जाएगी। एन.आई.ओ.एस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सी.डी वितरण की कार्यवाही की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) अपने अधीनस्थ अध्ययन केन्द्रों में सी.डी प्राप्त होने की जानकारी कर लें, तथा सुनिश्चित करें कि सभी प्रशिक्षणार्थियों को सी.डी उपलब्ध हो जाय। यदि किसी केन्द्र पर 25 मार्च तक सी.डी न प्राप्त हो तो एन.आई.ओ.एस क्षेत्रीय कार्यालय को अवगत कराया जाय।

11. अन्त में एन.आई.ओ.एस क्षेत्रीय निदेशक प्रदीप कुमार रावत द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(सीमा जौनसारी)	(वीरेन्द्र सिंह रावत)	(अजय कुमार नौडियाल)	(एन. एस विष्ट)	(प्रदीप कुमार रावत)
निदेशक- अकादमिक शोध एंव प्रशिक्षण निदेशालय देहरादून।	अपर निदेशक प्राथमिक /नॉडल अधिकारी डी.एल.एड उत्तराखण्ड।	अपर निदेशक एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून उत्तराखण्ड।	उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) विद्यालयी, शिक्षा निदेशालय ननूरखेडा, देहरादून	क्षेत्रीय निदेशक एन.आई.ओ.एस. क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून